सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 78/2017

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नरबदखेड़ा

1. श्री बीरमा उर्फ बीरम पुत्र श्री बालू उर्फ बाला जी जाति रावत
2. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री चुन्नी जाति रावत
3. श्रीमती जमनी बेवा स्व. श्री चुन्नी जाति रावत

समस्त निवासियान ग्राम सिंघाड़िया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

..............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

..............प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में प्रस्तुत हुई। वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थीगण की पैतृक आराजी कृषि भूमि ग्राम सिंघाड़िया, पटवार हल्का नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर में खसरा संख्या 491 01–13–00, 492 रकबा 00–16–10, 493 रकबा 00–16–10 तथा खसरा संख्या 984 रकबा 01–13–00 स्थित है। वाद पत्र की पद संख्या 2 में वादीगण का सजरा अंकित है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी कृषि भूमियां जिनका कि जमाबन्दी संवत् 2019–22 में विरासती नामान्रण अंकित किया है व उपरोक्त के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2023–26 में प्रार्थीगण के पिता/पति व स्वयं का नाम सही अंकित है एवं उपरोक्तानुसार बाला उर्फ बालू के तीन लड़के उत्पन्न हुए जिनका कि नाम चुन्नी, बीरमा उर्फ बीरम व नैना है। उपरोक्त तीनों में से श्री चुन्नी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है एवं श्री चुन्नी की मृत्यु के पश्चात् उनके जीवित वारिसान प्रार्थी संख्या 2 व 3 है जिनका कि नाम हाल जमाबन्दी संवत् 2070–73 में अंकित है एवं श्री नैना की मृत्यु उसके अविवाहित रहते ही हो चुकी है, इस प्रकार स्व. री नैना के कोई जायन्दा सन्तान नहीं है व ना ही थी इसलिये उक्त नैना के प्रथम श्रेणी के वारिसान मात्र प्रार्थीगण ही है एवं बीरमा उर्फ बीरम जो कि प्रार्थी संख्या 1 है जो कि वर्तमान में जीवित है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी संख्या 1 का व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता/पति का नाम चुन्नी एवं नैना का नाम जमाबन्दी संवत् 2023–26 में सही अंकित है एवं उनकी वल्दियत भी सही अंकित है लेकिन जमाबन्दी संवत् 2041 में संहवन से चुन्नी व बीरम पिसराना बाला, चुन्नी व बीरम पिसरान नैना प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात की जमाबन्दियों में गलत अंकन दरामद राजस्व अधिकारियों/सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से हुआ है। जबकि वास्तविकता यह है कि चुन्नी व बीरम व नैना श्री बाला उर्फ बालू के जीवित पुत्र है एवं उपरोक्त का प्रमाण जमाबन्दी संवत् 2019–26 है जिसमें कि उपरोक्त तीनों जमाबन्दियों में सही नाम अंकित है जो कि चुन्नी व बीरमा उर्फ बीरम व नैना पिसरान बाला अंकित है, उपरोक्तानुसार हाल जमाबन्दी में अंकन दरामद होना चाहिये जो कि न होकर गलत इन्द्राजाता किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में खातेदार का नाम चुन्नी व बीरमा पिसरान नैना हटवाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त जमाबन्दी में अंकन बदस्तूर रखा जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। इसलिय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष वास्ते करने दुरूसत नाम जमाबन्दियों एवं राजस्व रेकार्ड में करने हेतु पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में घोषित किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 के भाग (क) की जमाबन्दी संवत् 2041 में हाल जमाबन्दी संवत् 2070–73 में संहवन एवं गलती से बीरम पिसरान नैना व चुन्नी व बीरम पिसरान बाला अंकित है जबकि बीरम का पिता बाला उर्फ बालू है, नैना बीरम का सगा भाई था जो पूर्व में ही नाऔलाद फौत हो चुका है। इस प्रकार

लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

श्री बीरमा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार
राजस्व वाद संख्या 83/2017
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प नरबदखेड़ा

उक्त जमाबन्दी में जमनी बेवा चुन्नी के पश्चात् सम्पूर्ण इबारत अर्थात् बीरम पिसरान नैना व चुन्नी व बीरम पिसरान बाला के स्थान पर केवल बीरम पिसरान बाला उर्फ बालू अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार भाग (ख) में जमाबन्दी संवत् 2041 से 2073 में बीरम पिसरान बालू के स्थान पर बीरमा उर्फ बीरम पिसरान बालू उर्फ बाला अंकित किया जाना व उपरोक्त के पश्चात् बीरम पिसरान नैना गलत अंकित है जिसे कि हटाया जाने का आदेश पारित फरमाया जावे व उपरोक्तानुसार अप्रार्थी को भी निर्देशित किया जावे कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्त किया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिए सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया।

वादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने मौखिक कथन किए हैं कि पूर्व में भी न्यायालय द्वारा प्रार्थी के नाम की शुद्धि किये जाने के आदेश पारित किये हैं एवं उक्तानुसार प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का मज़में आम में अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम सिंगाड़िया की जमाबन्दी संवत् 2019-22 के ख़ाता संख्या 32 में अंकित साबिक खसरा संख्या 359, 360, 358 में जूजा व जीता व अज्जा व बाला पिसरान भेरा बहिस्से बराबर 1/2 हिस्सा व घीसा वल्द भवाना 1/2 हिस्सा कौम रावत दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में बाला के फौत होने पर जरिए नामान्तरकरण संख्या 88 में चुनी व बीरमा व नैना के नाम अंकन किये जाने का नोट अंकित है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2023-26 के खाता संख्या 47 में चुनी व बीरमा व नेना पिसरान बाला कौम रावत साकिन देह अंकित है जिससे यह ज़ाहिर है कि चुनी, बीरमा व नेना के पिता बाला रहे हैं। इसके पश्चात् बनी वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 30 व 32 में चुन्नी व बीरम पि. बालू चुन्नी बीरम पि. नैना अंकित कर दिया गया जो प्रस्तुत सज़रा एवं पूर्व जमाबन्दी संवत् 2023-26 अनुसार संवत् 2041 में गलत इन्द्राज किये गये हैं। ग्राम सिंघाड़िया पटवार हल्का नरबदखेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 35, 36 में अन्य सहखातेदारान के साथ सीता पुत्री चुन्नी जमनी पत्नी स्व. चुन्नी बीरम पि. नैना, चुनी व बीरम पि. बाला ब.हि.ब. 1/2 कौम रावत साकिन देह खातेदार अंकित है जो पूर्व दस्तावेज एवं सज़रा अनुसार गलत इन्द्राज किया गया है। वादी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नरबदखेड़ा द्वारा जारी सजरा की छाया प्रति प्रस्तुत की है तथा साथ ही चुन्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें चुन्नी के पिता का नाम बालूसिंह अंकित है। न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 33/2016 आदेश दिनांक 17.04.2017 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है जिसमें भी दुरूस्ती के आदेश पारित किए गए हैं

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सिंघाड़िया पटवार हल्का नरबदखेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) की वादग्रस्त आराजियात जमाबन्दी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 35 में अंकित खसरा संख्या 491, 492, 493 में "बीरम पिसरान नैना व चुन्नी व बीरम पिसरान बाला" के स्थान पर केवल "बीरम पिसरान बाला उर्फ बालू" अंकित किये जाने तथा तथा खाता संख्या 36 में अंकित खसरा संख्या 984 में "बीरम पिसरान बालू" के स्थान पर "बीरमा उर्फ बीरम पिसरान बालू उर्फ बाला" अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नरबदखेड़ा

राजस्व वाद संख्या 78/2017

1. श्री बीरमा उर्फ बीरम पुत्र श्री बालू उर्फ बाला जी जाति रावत
2. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री चुन्नी जाति रावत
3. श्रीमती जमनी बेवा स्व. श्री चुन्नी जाति रावत

समस्त निवासियान ग्राम सिंघाड़िया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

..............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

...............प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री सूरजसिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादी – पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 78/2017
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 01.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सिंघाड़िया पटवार हल्का नरबदखेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) की वादग्रस्त आराजियात जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 35 में अंकित खसरा संख्या 491, 492, 493 में "बीरम पिसरान नैना व चुन्नी व बीरम पिसरान बाला" के स्थान पर केवल "बीरम पिसरान बाला उर्फ बालू" अंकित किये जाने तथा तथा खाता संख्या 36 में अंकित खसरा संख्या 984 में "बीरम पिसरान बालू" के स्थान पर "बीरमा उर्फ बीरम पिसरान बालू उर्फ बाला" अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर